

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 312/2025

श्री जितेन्द्र पुत्र रामदेव गुर्जर, मुख्यालय 91 पैदल उपखण्ड, मार्फत 56 सेना डाक घर, पिन कोड 908091, मो०न०
8491815461

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 312/2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3666-3667 दिनांक 30.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/984 दिनांक 12.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री जितेन्द्र पुत्र रामदेव गुर्जर, मुख्यालय 91 पैदल उपखण्ड, मार्फत 56 सेना डाक घर, पिन कोड 908091 का आवेदन पत्र इस कार्यालय में 01.04.2025 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/112 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पौख को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में पहले अपील सं० 203/2025 दर्ज कराई जा चुकी है जो श्रीमानजी द्वारा खारीज की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/984 दिनांक 12.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री जितेन्द्र पुत्र रामदेव गुर्जर, मुख्यालय 91 पैदल उपखण्ड, मार्फत 56 सेना डाक घर, पिन कोड 908091 का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में 01.04.2025 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/112 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पौख को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में पहले अपील सं० 203/2025 दर्ज कराई जा चुकी है जो श्रीमानजी द्वारा खारीज की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी की यही अपील न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं० 203/2025 दर्ज होकर आदेश दिनांक 28.05.2025 द्वारा खारीज की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर झुंझुनूं